राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–4) विभाग

क्रमांक प॰ 4 (4) कार्मिक/क–4/07 जयपुर, दिनांक : 03 JUN 2016

–:आज्ञा:–

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम–28 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2007–08 की रिक्तियों के विरूद्व श्री घनश्याम लाल शर्मा के प्रकरण में उनके विरूद्ध सी.सी.ए नियम 17 में एक विभागीय जांच लम्बित होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा सीलबन्द लिफाफे में रखी गयी थी।

कार्मिक (क–3/जाँच) विभाग के आदेश क्रमांक प. 1 (323) कार्मिक/क–3/2007 दिनांक 13.05.2016 द्वारा श्री घनश्याम लाल शर्मा के विरूद्व लम्बित उक्त विभागीय जाँच प्रकरण समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप घनश्याम लाल शर्मा के प्रकरण में सीलबन्द लिफाफा खोला गया। विभागीय पदोन्नति समिति ने श्री घनश्याम लाल शर्मा को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2007–08 की रिक्तियों में वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया।

अतः विभागीयं पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर श्री घनश्याम लाल शर्मा को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2007–08 की रिक्तियों के विरूद्व वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। वरिष्ठता में श्री घनश्याम लाल शर्मा का नाम श्री हरि सिंह लम्बोरा के नीचे तथा श्री राजीव आचार्य के ऊपर रहेगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(अभिमन्यु कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राज्यपाल, राज. जयपुर।
2. सचिव (प्रथम/द्वितीय), मुख्य मंत्री, राज. जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज. जयपुर
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. जिला कलक्टर, पाली।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. श्री घनश्याम लाल शर्मा, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, जैतारण, पाली।
8. ए.सी.पी., कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।
10. निजी पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव